(143)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**
अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 418–पीबीआर/16 विरूद्ध आदेश दिनांक 8–12–2015 पारित द्वारा अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल प्रकरण कमांक 588/अपील/11–12.

1– श्रीमती धपिया बाई पत्नी जीतमल
निवासी ग्राम नामदारपुरा
तहसील बैरसिया जिला भोपाल
2– श्रीमती कृष्णा बाई पुत्री स्व. जीतमल
निवासी ग्राम पिपलिया गज्जू
तहसील हुजूर जिला भोपाल
3– श्रीमती ओमवती बाई पुत्री जीतमल
निवासी ग्राम रतीबड़
तहसील हुजूर जिला भोपाल .....आवेदकगण

विरूद्ध

1– श्रीमती शांति बाई पत्नी स्व. जीतमल
2– बोंदर सिंह आत्मज खूबीलाल
3– संतोष कुमार आत्मज शालिगराम
4– दिलीप कुमार आत्मज शालिगराम
निवासीगण ग्राम गुराडीघाट
तहसील हुजूर जिला भोपाल .....अनावेदकगण

मोहम्मद फरीद खान, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री एस0के0 पाण्डे, अभिभाषक, अनावेदकगण

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 25/1/17 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 8–12–2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदकगण स्व. जीतमल के वारिस हैं । स्व. जीतमल के द्वारा अनावेदिका कमांक 1 से विवाह किया गया था, परन्तु उससे कोई संतान उत्पन्न नहीं हुआ । स्व. जीतमल के नाम ग्राम गुराडीघाट स्थित भूमि सर्वे कमांक 120/3, सर्वे कमांक 138/1, 58–86/1 कुल रकबा 32.13 एकड़ भूमि थी । जीतमल का स्वर्गवास होने के उपरांत आवेदकगण द्वारा खसरे की नकल प्राप्त करने पर उन्हें जानकारी हुई की प्रश्नाधीन भूमि पर अनावेदक कमांक 2 लगायत 4 द्वारा आपस में बटवारा करा लिया गया है, जबकि वे न तो स्व. जीतमल के वारिस हैं, और न ही प्रश्नाधीन भूमि में सहखातेदार हैं । अतः तहसील न्यायालय द्वारा नामांतरण पंजी कमांक 31 पर पारित आदेश दिनांक 7–8–2000 के विरूद्ध प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी, तहसील हुजूर जिला भोपाल के समक्ष प्रस्तुत की गई । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 26–5–2012 को आदेश पारित कर तहसील न्यायालय का आदेश निरस्त किया गया है एवं तहसील न्यायालय को आदेशित किया गया कि प्रश्नाधीन भूमि अन्य व्यक्तियों के नाम किस प्रकार आई, और राजस्व अभिलेखों में उनके नाम की प्रविष्टि कैसे हुई, इसकी सूक्ष्म जॉच करें तथा राजस्व अभिलेखों में वास्तविक भूमिस्वामियों आवेदकगण एवं अनावेदिका कमांक 1 का नाम दर्ज करें । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल के प्रस्तुत प्रस्तुत किये जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 8–12–2015 को आदेश पारित कर व्यवहार न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 15–7–2012 के अध्यधीन अपील स्वीकार की गई एवं अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त किया गया । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अपर आयुक्त द्वारा बिना अभिलेख का सूक्ष्म अवलोकन किये अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त करने में अवैधानिकता की गई है । यह भी कहा गया कि अनावेदक कमांक 2 लगायत 4 स्व. जीतमल के उत्तराधिकारी नहीं है, अतः अनुविभागीय अधिकारी द्वारा जॉच करने के निर्देश दिये गये थे, ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त करने में अपर आयुक्त द्वारा त्रुटि की गई है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा निर्देशों के साथ आदेश पारित किया गया था, अतः अनुविभागीय अधिकारी के निर्देशों का बिना पालन हुए उनका आदेश निरस्त करने में अपर

आयुक्त द्वारा अवैधानिक एवं अनियमित कार्यवाही की गई है । उनके द्वारा निगरानी स्वीकार करने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रथम अपील अवधि बाह्य प्रस्तुत की गई थी, जो कि इसी आधार पर निरस्त किये जाने योग्य है । यह भी कहा गया कि व्यवहार न्यायालय द्वारा अनावेदक कमांक 2 लगायत 4 के पक्ष में आदेश पारित किया गया है, और व्यवहार न्यायालय का आदेश राजस्व न्यायालयों पर बंधनकारी है, ऐसी स्थिति में व्यवहार न्यायालय के आदेश के अनुरूप अपर आयुक्त द्वारा आदेश पारित किया गया है, जो स्थिर रखे जाने योग्य है ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को देखने से स्पष्ट है कि उनका आदेश इस सीमा तक तो सही है कि तहसील न्यायालय द्वारा विधिवत बटवारा आदेश पारित नहीं किया गया है । बटवारे से पहले अनावेदिका कमांक 1 शांतिबाई के नाम 13.50 एकड़ भूमि थी, जिसे बाद में 4.50 एकड़ कर दिया गया है । तहसील न्यायालय द्वारा इस तथ्य का भी परीक्षण नहीं किया गया है कि कहीं पूर्व में तो प्रश्नाधीन भूमि का बटवारा नहीं हो गया है । प्रकरण में तहसील न्यायालय के समक्ष किसी भी स्तर पर खसरे पेश नहीं की गई है, और न ही उनकी प्रविष्टियों का परीक्षण तहसील न्यायालय द्वारा किया गया है । आवेदिका कमांक 1 द्वारा व्यवहार न्यायालय में वाद प्रस्तुत किया गया था, जो कि निरस्त हुआ है, इस तथ्य को भी तहसील न्यायालय में बटवारे की कार्यवाही में ध्यान में रखना होगा । इस प्रकरण की परिस्थितियों को देखते हुए यह आवश्यक है कि तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त किये जाकर प्रकरण तहसील न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाये कि उपरोक्त सभी बिन्दुओं को दृष्टिगत रखते हुए संहिता की धारा 178 के अंतर्गत बने नियमों के अनुरूप प्रश्नाधीन भूमि का विधिवत बटवारा किया जाये ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, भोपाल संभाग, भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 8–12–2015, अनुविभागीय अधिकारी तहसील हुजूर भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 26–5–2012 एवं तहसीलदार, वृत 3 तहसील हुजूर भोपाल द्वारा पारित

आदेश दिनांक 7–8–2000 निरस्त किये जाते हैं । प्रकरण तहसीलदार को उपरोक्त विश्लेषण के परिप्रेक्ष्य में निराकरण हेतु प्रत्यावर्तित किया जाता है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर